तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
7/3/22	पत्रावली आज पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। अधिवक्त अप्रार्थी सं. 3 उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण अप्रार्थी सं. 1 की ओर से प्रस्तुत जवाब अनुसार अप्रार्थी सं. 3 द्वारा हाईवे की भूमि पर किया गया अतिक्रमण हटा दिया हैं तथा वर्तमान में किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं हैं। इस तथ्य के सत्यापन हेतु मौका जांच रिपोर्ट के इंतजार में प्रकरण में लोक न्यूसेंस का विवाद विचाराधीन हैं। अतः प्रकरण उपखण्ड मजिस्ट्रेट बाड़मेर को अग्रिम कार्यवाही एवं निस्तारण हेतु इस निर्देश के साथ स्थानान्तरित किया जाता हैं कि मौका जांच रिपोर्ट तलब कर मौके पर यदि किसी प्रकार का लोक न्यूसेंस विद्यमान पाया जावें तो उसके हटाने की विधि अनुसार कार्यवाही अमल में लाई जावें तथा इसके साथ ही मौके पर किया गया निर्माण राजस्व विधि के विपरित पाया जावें तो उसके लिये भी पृथक से कार्यवाही सम्पादित कर प्रकरण का निस्तारण किया जावें। यह पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम हों। पक्षकारान आईदा सुनवाई हेतु उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बाड़मेर के समक्ष दिनांक 12.04.2022 को पेश हों। Lon जिला कलक्टर बाड़मेर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.04.20 18:12:13 IST
Reason: SelfAttested